प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक 29 नवम्बर, 2023**

विषयः- उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-5530/6-1-1/चि0धा0ती0वि0प0(बजट)/2023, दिनांक 27.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0 प्र0 श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद हेतु गैर वेतन मद में आवंटित धनराशि रू0 37.50 लाख के सापेक्ष 28.07 लाख का व्यय कर, व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुदान सं0-44 के लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय-18-उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट के 20-सहायता अनुदान (गैर वेतन) मद में रू0 112.00 लाख की धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उ0 प्र0 श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद हेतु पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-370/2023/आई/305835/001-41-1002-001-111-2022-65-Budget-2022, दिनांक 21.04.2023 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

मद संख्या	प्रावधानित धनराशि	निवर्तन पर रखी गयी धनराशि
1	2	3
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रू0 150.00	रू0 37.50
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	रू0 215.00	रू0 215.00

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु मद संख्या 18- उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट, 20-सहायता अनुदान (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 21.04.2023 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-3227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृति धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय सीमा तक ही आहरित की जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों व नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरित किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(12) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(14) पूर्व में निवर्तन पर रखी गयी धनराशि एवं वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(15) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 3452808001800 उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-308-X-2023-24, दिनांक- 22 नवम्बर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. आयुक्त, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
4. जिलाधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट।
5. निदेशक, पर्यटन मुख्यालय, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चित्रकूट।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।